

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 29 □ अंक- 25 □ रावपुर, सोमवार 16 फरवरी 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपये □ रावपुर □ जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

छत्तीसगढ़ का बजट 24 फरवरी को होगा पेश

नई थीम और नए विजन के साथ आएगा बजट : चौधरी

रावपुर, 16 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 23 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 24 जनवरी को सदन के पटल पर अपनी सरकार के तीसरे बजट को पेश करेंगे। आगामी बजट सत्र को लेकर मंत्री ओपी ने बताया कि यह उनकी सरकार का तीसरा बजट होगा, जो नई थीम और नए विजन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बजट की रणनीति



2047 तक विकास भारत के लक्ष्य के अनुरूप तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ के

संकल्प को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। 2047 के लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत बजट

केवल आरोप-प्रत्यारोप को राजनीति कर रहा है। सरकार विकास कार्यों पर केंद्रित है, जो विपक्ष को स्वीकार नहीं हो रहा।

में स्पष्ट रोडमैप देखने को मिलेगा।

बजट को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सबालों पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पूर्व में राजीव गांधी योजना के तहत चार किलोमीटर में राशि दी जाती थी, जबकि भाजपा सरकार हर साल उससे अधिक राशि दे रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पांच वर्षों में जितनी राशि नहीं दे पाई, उससे अधिक उनकी सरकार दे रही है। हर वर्ष 8000 करोड़ रुपये माता-बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोले हुए कहा कि विपक्ष को राशि देना ही नहीं है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सीबीआई मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर तय किए आरोप

नई दिल्ली, 16 फरवरी (न्यूज चैनल)। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सीबीआई मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ आपराधिक रूप से आरोप तय किए। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अदालत में पेश हुए, आरोपों से इनकार किया और कहा कि यह मुकदमे का सामना करेंगे। यह मामला रेलवे रंगू डी को नौकरियों उम्मीदवारों को जमीन के बदले दिलाने के कथित अपराध से संबंधित है।



अब चलेंगे मुकदमा

विशेष न्यायाधीश विशाल गोमने ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा, जब तक कि वॉडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अनुमति न दी जाए। मौसा भारती ने कहा कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत ने उन्हें वॉडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश

होने के लिए कहा है। 9 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजवती यादव, रतन प्रताप यादव, मौसा भारती और अन्य आरोपियों को खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। आरोप तय करते समय, सीबीआई की विचारणा अदालत ने दिपण्णी को धी, प्रथम दृष्टया, लालू प्रसाद यादव के मानदंडों में सरकारी नौकरियों का इस्तेमाल करके अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से इच्छुक नौकरी पाने वाली से अचल संपत्ति हासिल करने की साजिश रची गई थी। अदालत ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनकी परिवार कुम गिराओ को तरह काम कर रहे थे। अदालत ने मुख्य कालिंक अधिकारियों (सीपीओ) और रेलवे अधिकारियों सहित 52 आरोपियों को चर्ची कर दिया। कार्यवाही के दौरान पांच आरोपियों को मृत्यु हो गई। सीबीआई ने 103 आरोपियों को खिलाफ आरोप तय कर दिया था।

आमने-सामने भिड़ंत में पलटी कार, बुजुर्ग ने तोड़ा दम

गरिबाबाद, 16 फरवरी (हाईवे चैनल)। नेवल हाईवे 130 सी पर सोमवार सुबह एक ट्रक का दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक कार ने ट्रक को पलटी कर दिया। घटना के बाद गांव में भिड़ंत हो गई। प्रांत नाजकरी के अनुसार मृतक को पहचाना गया वह 60 वर्ष का था। निजामी जीवा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच अपने गांव से गाँववालों की ओर आ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही कार से उनकी मोटरसाइकिल की टकरा हो गई।



टकरा इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल घुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हाइकू मार को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस कार चालक की स्थिति, वाहन की गति और दुर्घटना के कारणों को जांच में जुटी हुई है।

दुनिया की एआई कैपिटल ग्लोबल समिट में कई देश शामिल, टेक्नोलॉजी का महामेला

नई दिल्ली, 16 फरवरी (न्यूज चैनल)। सोमवार को नई दिल्ली के भारत महोत्सव में एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत के साक्ष्य हो। 16 से 20 फरवरी तक भारत की राजधानी में आयोजित होने वाले इस वैश्विक आयोजन में 300 से अधिक सुनिश्चित प्रदर्शनी मंडप और लाख दर्शन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें तीन विश्वगत चर्चा - लॉग, ग्रह और ग्रामि - के आधार पर संरचित किया गया है। इसमें 600 से अधिक उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप और 13 देशों के पब्लिक शान्ति हॉग जो एआई इकोसिस्टम में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करेंगे। यह एएसजी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप, शिवालय, अनुसंधान संस्थानों, केंद्र और राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को एक साथ लाएंगे।

इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्ज्पोजे 2026 का आयोजन 70,000 वॉन मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 एरों में किया जाएगा। स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी संस्था, अनुसंधान संस्था, मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय साझेदार भाग लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस मेले इवेंट में 13 देशों के पैरिवेलियन स्थापित किए जाएंगे, जो



एआई क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करेंगे। इन पैरिवेलियन में ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीका देशों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। एएसआई को रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम में 600 से अधिक स्टार्टअप भाग लेने वाले हैं, जिनमें से कई वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध और व्यापक स्तर के एआई समाधान विकसित करने की प्रक्रिया में हैं, जिनमें पहले से ही वास्तविक दुनिया में लागू किया जा चुका है। इंडियाएआई मिशन के तहत, इस कार्यक्रम में स्वदेशी स्टार्टअप और कंसोर्टिया द्वारा विकसित 12 फाउंडेशन मॉडल का आनंदगर्भी होना होगा, जिनमें भारतीय डेटासे

और बहुभाषी दर्शकों के अनुसार प्रशिक्षण और वैश्विक किया गया है। इन मॉडलों को भारत की सभी 22 अधिकारिक भाषाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्ज्पोजे में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, जिसमें 25 लाख से अधिक आमगुल्य शामिल होंगे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भी होंगे। इस आयोजन में प्रतिदिन करीब सत्र होंगे, जो चार दिनों में कुल मिलाकर 500 से अधिक होंगे। विश्वभर के तकनीकी नेताओं का भारत में स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने जू पर लिखा - यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि विश्वभर के लोग इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत आ रहे हैं। यह हमारे देश के युवाओं की क्षमता और प्रतिभा को भी दर्शाता है। यह अवसर इस बात का प्रमाण है कि हमारा राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। एक अन्य पोस्ट में, पीएम मोदी ने शिक्षा संमेलन का विषय 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' घोषित किया, जो मानव-केंद्रित प्रगति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की हमारी साक्षात् प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

1993 मुंबई ब्लास्ट : अबू सलेम की रिहाई की उम्मीदों पर फिर पानी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली, 16 फरवरी (न्यूज चैनल)। गैरसर अबू सलेम को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में उनकी रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले का मतलब है कि सलेम कानूनी कार्यवाही जारी रहने तक हिरासत में ही रहेगा। 4 नवंबर, 1993 को मुंबई बम विस्फोट मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर पहली चार्जशीट में अबू सलेम, या अबू सलेम 1993 के आतंकवादी हमले सहित अंतर में हथियारों के साथ एक कथित भूमिका से संबंधित उपराध गराए उसकी पहचान हो पाई। एक साल बाद, पुर्नगोलीय सरकार ने 1993 के आतंकवादी हमले सहित अंतर में हथियारों के साथ एक कथित भूमिका से संबंधित उपराध गराए उसकी पहचान हो पाई।



पुलिस ने दावा किया कि सलेम को हथियार ले जाने और डिपॉजिट का काम सीमा गया था और वह धमाकों की साजिश से जुड़ा था। उसी साल 12 मार्च को, दाऊद इब्राहिम और उसके गिराओ द्वारा समन्वित एक आतंकवादी हमले में मुंबई में एक दर्जन बम विस्फोट हुए, जिसमें 257 लोग मारे गए। सलेम बम धमाकों के मामले में 1995 में मुंबई के एक बिलर जैन को हत्या के साक्ष्य में भी वॉशिंग अभियुक्त बना रहा। कहा जाता है कि वह देश छोड़कर भाग गया था और अन्य

अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा शुरू होने और खत्म होने तक फरार रहा। 2002 में ही अधिकारियों को एक बड़ी सफलता मिली और सलेम को पुर्नगोलीय राजधानी लिस्बन में हिरासत में लिया गया। कहा गया कि उसने अपना खून बदलने के लिए 'प्लास्टिक' सर्जरी कराई थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद उसके फिंगरप्रिंट के आधार पर उसकी पहचान हो पाई। एक साल बाद, पुर्नगोलीय सरकार ने 1993 के आतंकवादी हमले सहित अंतर में हथियारों के साथ एक कथित भूमिका से संबंधित उपराध गराए उसकी पहचान हो पाई।

9 करोड़ का चैक बाउंस मामले में राजपाल यादव को मिलेगी जमानत..!

नई दिल्ली, 16 फरवरी (न्यूज चैनल)। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव अभी भी तिरहा जेल में हैं क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने चैक बाउंस मामले में लगभग 9 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले, 12 फरवरी को उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए कहा और अगली सुनवाई आज, 16 फरवरी, 2026 को निर्धारित की। राजपाल यादव को खाते देते वाली कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। हालांकि, यह अभी तक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ



दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

पिछली सुनवाई में, 12 फरवरी को, अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, बांग्लादेश के शायद ग्राम समारोह में लोकभक्त स्पीकर आम बिराता को भेज रहे हैं।
चुटिया- हां जी, मोदी जागें तो हसीना पे बात होगी..!